(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part file-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

#### 1. AGRICULTURE

No.Shram (A)4-8/2006-Part-file-1 Dated Shimla-

12th October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled Employment of "Agriculture" may be revised with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the catigories of workers in all 11 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause(a) of subsection (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f, 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Un-skilled workers Rs. 180/- per day or Rs. 5400/- per month.

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-file-1 Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7. The Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8 .All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand) Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh Phone No. 0177-2626416 (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part file-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# NOTIFICATION

# 2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

5400

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees

Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade- 180.00 II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen /Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/

Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith	197.00	5910.00
Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman		
Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black		
Smith (Boatman)/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/		
Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/		
Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-		
II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant		
Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified		
/Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/		
Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office)/		
Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper ( 5		
years and above ) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/		
Assistant Leveler/Khalasi ( 3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump		
Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt.		
Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry		
Attendant/Telephone Attendant.		

Stone Breaker/Rock carrier Breaker/Stone Carrier 1½ inch to 2 inch Rs. 1289 cft

1 to 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> inch Rs. 1443 cft

SKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter	224.17	6725
Grade-I/ Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/		
Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter		
Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor		
Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for		
ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto		
Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural		

Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ GeneratorDriver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-Levellers/ Saw years II/Khalasi( to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator / Wireless Operator/Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees		
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-	284.50	8535		
I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-				
I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter				
Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant				
Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller				
Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/				
Chemical Analyser.				

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store	224.17	6725
Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking		
Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint		
Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)		

# Clerk/Stenographer.

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii). Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12th October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P. Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh. Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

#### **NOTIFICATION**

# 3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May,2015;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

And wheras, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

General Staff Unskilled Rs.180 /- per day, Rs.5400/- per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

Rs. 180/- per day, Rs. 5400/- per month

Semiskilled

Rs.190.17 per day, Rs.5705/- per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asst. Carpenter
- 6. Asstt. Welder

- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asst. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt.Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
- 19. Assistant Molders.

#### SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 216.52 per day or Rs. 6496 per month.

#### HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 250.50 per day or Rs. 7515 per month.

#### GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 216.52 per day or Rs. 6496 per month.

# Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer

A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs.232.52 per day or Rs. 6976 per month,

# Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs.291.25 per day or Rs. 8738 per month

RUNNING STAFF Per Day Per month

1.Driver Rs.254.12 Rs. 7624

2.Conductor Rs.223.60 Rs. 6708

3.Cleaner-cum-Conductor Rs.203.12 Rs. 6094

4.Part-Time Booking Clerk Rs. 73.72 Rs. 2212

# NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i). Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12th October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# **NOTIFICATION**

#### 4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May,2015;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015.

And wheras, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Category of employees	Where no benefit	Where	food,	tea	&
	is provided	combine	ed		
		accomn	nodation	l	
		provide	d		

Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/		
Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/	Rs.180/-Daily	Rs 154.47/-Daily.
Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messanger/ Clock		
Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/		
Pandi/ Posterman/ any other	Rs.5400 Monthly.	Rs. 4634 Monthly.

Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.195.55 Daily.	Rs. 169.12 Daily.
Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman		
/ Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector	Rs. 5867	Rs.5074 Monthly
/Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/	<b>R</b> S. 5007	RS.507 1 Wollding
Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/	Monthly.	
Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/		
Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant		
Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/		
Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter,		
Bearer), Assistant Radio Machanic/Painter/		
WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-		
matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and		
Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone		
Attendent, ITI Certificate Holder.		

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.224.17 Daily.	Rs. 198.37 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant		
Tailor/Cutter (Tailoring)	Do 6705	
	Rs. 6725	
/General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/	Monthly.	Rs. 5951 Monthly.
Steward/ Butler/ Fitter/		
Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder /		
Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/		
Compositor/ Cinema		
Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/ Barber/Regular		
machine man/machinist/		
Welder/Moulder/Cashier/		
Clerk/(Matric) Munim /receptionist/ Waiter/ Bearer/) /		
Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style		
Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working		

in the same trade.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head	Rs.237.12 Daily.	Rs. 212.40 daily
Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head		
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Rs. 7114	
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Monthly.	Rs. 6372 Monthly.

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. Hiswork is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
  - (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with

responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh. Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

#### **NOTIFICATION**

# **5. FORESTRY INDUSTRIES**

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015.

And wheras, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f  $1^{st}$  May, 2015 as under:-

Cat	egory of Workers	Revised Minimum Wages		
		Daily	Monthly	
UN	SKILLED WORKEPRS			
1	Felling of trees:	Rs.180.00	Rs.5400	
	1 Laman (Chanai)	Da 105 55	D = 5067	
	1.Lopper (Changi)	Rs.195.55	Rs.5867	
	2.Feller (Garani)	Rs.186.12	Rs.5584	

2 Logging and sawing including timber passing:

	1.Dresser (Panchani)	Rs.186.12 Rs.250.50	Rs.5584 Rs.7515
	2.Sawyer (Charani)	Ks.230.30	K8.7313
	3.Blacksmith	Rs.229.40	Rs.6882
3	Carriage stacking and timber passing by manual labour:		
	<ol> <li>Mazdoor for carriage</li> <li>Mazdoor for loading and un loading of timber.</li> </ol>	Rs.186.12 Rs.186.12	Rs.5584 Rs.5584
4	Carriage of timber by Aerial ropeways:		
	<ul><li>1.Span Mistry-cum-Supervisor</li><li>2.Span Mistry</li></ul>	Rs.250.50 Rs.229.40	Rs.7515 Rs.6882
5	Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), floting):	Nullah Bhaan Dary	va Bahaan (River
	1. Mohri-wala Mistry	Rs.275.15	Rs.8255
	2. Taru	Rs.260.27	Rs.7808
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.237.12	Rs.7114
	4. Darya-man	Rs.260.27	Rs.7808
	5. Ghalu	Rs.207.17	Rs.6215
	6. Jamadar	Rs.207.17	Rs.6215
6	Mechanised logging and timber extraction:		
	1.Surveyor	Rs.252.57	Rs.7577
	2.Ski-line Operator	Rs.229.40	Rs.6882
	3 Truck Driver	Rs.209.30	Rs.6279
	4. Compressor Driver	Rs.209.30	Rs.6279
7	Clerical Staff:		
	1.Manager	Rs.305.12	Rs.9154
	2.Accountant	Rs.213.97	Rs.6419

	3.Munshi/ Typist clerk	Rs.186.12	Rs.5584
8	Saw Mill Workers:		
	1.Band Saw Mistry	Rs.229.40	Rs.6882
	2.Supervisor	Rs.226.29	Rs.6789
	3.Head Mistry	Rs.229.40	Rs.6882
	4.Boiler Driver	Rs.229.40	Rs.6882
	5.Assistant Mistry	Rs.190.17	Rs.5705
	6.Planner Mistry	Rs.190.17	Rs.5705
	7.Helper	Rs.186.12	Rs.5584
	8.Cutter man	Rs.190.17	Rs.5705
9	Katha Extraction:		
	1.Feller and Chipper	Rs.186.12	Rs.5584
	2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.195.55	Rs.5867

# Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.284.50. Daily. Rs.8535 Monthly.

# NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be 3. less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh)

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part file-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# NOTIFICATION

#### 6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 180.00 Daily.
	Rs. 5400.00. Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant	Rs. 188.47 Daily.
Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant	Rs. 5654 Monthly.
Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant,	
Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant,	
Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I,	
Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular,	
Hageman, ITI Certificate Holder.	

#### Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Rs. 224.17 Daily. Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.

#### Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 284.50 Daily.

Rs. 8535 Monthly.

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important

decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iv) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with
- (v) responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh. Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# **NOTIFICATION**

# 7. ENGINEERING INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part file-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommendated w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

#### **Un-Skilled**

Rs. 180.00. Daily.

Rs.5400 Monthly.

# Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III,

Rs. 188.47 Daily. Rs.5654 Monthly.

Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame

Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

#### Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Woucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 224.17 Daily. Rs.6725 Monthly

# Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Rs. 284.50 Daily. Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter

Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

#### Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 200.02 Daily.

Rs.6001 Monthly.

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His

work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions

made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7..Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand) Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh. Phone No. 0177-2626416 (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# **NOTIFICATION**

#### 8. TEA PLANTATION

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June.2015.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

# Category of Workers

# Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up Rs. 180.00 Daily or rooting, spraying, manuring, shade lopping, hocing ,pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 13.03 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 10.09 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 7.32 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 13.03, Rs. 10.09 Rs. 7.32 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs.184.56 per day, Rs.5537/- per month

#### FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, Rs. 180-00 daily

relling room workers, shifting Mazdoor, Rs. 5400 Monthly.

fermenting room workers, tea boys,

sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

# PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Rs. 180-00 daily

Muharirs etc. who maintain records of a field work Rs. 5400 Monthly.

and also includes sweeper, Mali & Mate.

# CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

#### OFFICE STAFF:

1.	Accountant	Rs. 325.22	Rs.9757.00 per maccommodation	onth plus	free
2.	Clerks	Rs. 224.17	Rs.6725.00 per maccommodation	onth plus	free
3.	Munshi	Rs. 239.53	Rs.7186.00 per m benefits as admissible		free
4.	Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.184.57	Rs.5537.00 per m benefit as admissible	•	free
			Daily	Monthly	
5.	Compounder		Rs.294.27	Rs.8828	

6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.254.12	Rs.7624
7. Mechanic,	Rs.297.40	Rs.8922
8. Assistant Mechanic	Rs.252.57	Rs.7577
9. Electrician-cum- Mechanic, Grade-I	Rs.297.40	Rs.8922
10.Electrician-cum- Mechanic, Grade-II	Rs.252.57	Rs.7577

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P. Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# **NOTIFICATION**

# 9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Un-skilled Workers Rs. 180.00 per day or Rs. 5400 per month

Semi-skilled Rs. 188.47 P.D. or Rs. 5654 per month

Skilled & clerical staff Rs. 224.17 P.D. or Rs. 6725 per month

Highly-Skilled Rs. 284.50 P.D. or Rs. 8535 per month

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

  By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

Phone No. 0177-2626416

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

# NOTIFICATION

#### 10. HOTEL AND RESTAURANTS

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/	Rs. 180-00 Daily	Rs 154.47 Daily
Masalachi/ Gateman/ Waterman/		
Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/	Do 5400 Monthly	Do 4624 Monthly
Bhishti/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/	Rs. 5400 Monthly	Rs. 4634 Monthly
any worker doing un-skilled job.		

SEMI-SKILLED WORKER: Rupees Rupees Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Rs. 195.55 Daily Rs 170.11 Daily Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide Fitter/ /Assistant Mistry/ Assistant Sewerman/Assistant Turner/Assistant Rs. 5867 Monthly Rs. 5103 Monthly. Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi. Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora Chana and Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman. Enquiry Attendant, Telephone Attendant.ITI certificate holder who are working in the other trade. SKILLED WORKERS: Rupees. Rupees. Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St Rs. 224.17 Daily Rs. 198.37 Daily eward/Butler/Draughtsman/TelephoneOpera tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Rs. 6725 Monthly. Rs. 5951 Monthly. Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade. Highly Skilled Rupees. Rupees. Store Keeper/ Clerks (Graduates) Rs. 237.12 Daily Rs. 211.46 Daily Accountant /Head Cashier/ Head Cook/

Foremen/

(Tailoring)

Head

Butler/Head

Confectioner/Head mechanic/ Electrician/

Supervisor./

Baker/

Head

Tailor/Cutter

Rs. 7114 Monthly.

Rs. 6344 Monthly.

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the 12<sup>th</sup>

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.

- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9. Guard File.

(Milap Chand) Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh. Phone No. 0177-2626416 (Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile-1 dated 12.10.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

#### **NOTIFICATION**

# 11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No.Shram (A)4-8/2006-Partfile-1

Dated Shimla-2

12<sup>th</sup> October, 2015

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1<sup>st</sup> May, 2015.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16<sup>th</sup> June,2015;

And wheras, a meeting of the said Committee was held on 30-06-2015 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 11 scheduled Employments were approved and recommended w.e.f. 01-05-2015;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1<sup>st</sup> May, 2015 as under:-

Un-skilled Workers Rs. 180.00 per day or Rs. 5400 per month

Semi-skilled Rs. 195.55 P.D. or Rs. 5867 per month

Skilled Rs. 224.17 P.D. or Rs. 6725 per month

Highly skilled Rs. 237.12 P.D. or Rs. 7114 per month

#### NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-partfile-1 Dated Shimla-2 the

12<sup>th</sup> October, 2015

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
- 3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 7. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 05-08-2015 with 10 spare copies.
- 8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 9.Guard File.

(Milap Chand)

Under Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh. Phone No. 0177-2626416

## अधिसूचना

# 1. कृषि

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल.-1 तारीखः शिमला 12,अक्तूबर 2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्कृषिश के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–05–2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:–

अकुशल कर्मकार : 180 / - रूपए प्रतिदिन या 5400 / - रूपए प्रतिमास

#### टिप्पण

- समान और इसी प्रकार के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4. हिमाचल प्रदेश जन—जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी / वृद्धि अनुज्ञेय होगी ।

# अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगीः -

<u>अकुशलः</u> अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीवि का जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

#### आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीखः शिमला-2 12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

#### अधिसूचना

# 2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियांए पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रिशंग)

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला

12 अक्तूबर,2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्सडकोंश का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई / (कृशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.06.2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
	2	3
.अकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
भिशती / चिमनी क्लीनर / चौकीदार / डिस्टेम्परर ग्रेड— प् / गलेजियर / पलम्बर या—वर्कशाप हैल्पर / रोक किंटिंग लेबर / स्टोन ब्रेकर / स्टोन चिस्लर / स्वीपर / बिटुमन के लिए स्प्रे मैन / पाइप लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्योरिटी—गार्ड / बेलदार / ट्रैक्टर / रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर का क्लीनर / मजदूर सर्वे बॉय / वाचमैन / टी बॉय / पीअन	180.00	5400.00
(चपरासी) / ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल ) /खलासी ( 0 से 3 साल ) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर / मक्कर । अर्धकुशल कर्मकारः	الالح	ша
अधिकुराल कमकार.	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-।।/ मैसन ग्रेड।। / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड।। / सैनिटरी फिटर ग्रेड।। / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ क्रेन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन ) / क्रेन-मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड-।/फिटर ग्रेड-।। फलोर-पालिशर / स्टोन ड्रेसर /माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड।।, टर्नर-ग्रेड।। / पाइप फिटर ग्रेड।। / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर /	197.00	5910.00

सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर

(अर्हित / अनुभवी) / हैमरमैन / कुक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली आपरेटर / एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस) / मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल—मैन / हैल्पर (5 साल और अधिक ) / आयल—क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड—वाचमैन / सहायक—लेवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन—द्रैसर / पम्प—एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रिषियन ग्रेड—।। / गार्डनर / गेज—रीडर / सहायक लेव एटैन्डेन्ट / औटो इलैक्ट्रीशियन / मोटर—मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट । स्टोन—ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन—कैरियर

1-1/2"से 2" इंच
रुपए 1289.00
घन फुट
1 से 1/4" इंच
रुपये 1443.00
घन फुट
रु.. पै. रु.. पै.

6725.00

कुशल कामगारः

कारपेन्टर ग्रेड— ।/ मैसन ग्रेड— ।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर 224.17 ग्रेड— ।/अप—होलसल्टर ग्रेड— ।/ सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प झाइवर /चार्जमैनग्रेड.—।। /जल आपूर्तिफिटर/कारपेन्टरग्रेड— ।। / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर झाइवर / दर्जी या

टेलर ग्रेड– ।/दर्जी या टेलर ग्रेड–।। / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड-। /पाईप फिटर ग्रेड–।/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर–आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड—-।। / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / क्रशिंग प्लांट फिटर /(बी॰) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर /शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रिफ़िजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर /सकेपर-आपरेटर /लोडर आपरेटर / केन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर/ (बी.) प्लांट–आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर /गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ /टिन रिमथ / ट्रैक्श्न वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर / खलासी / जमादार / वाइन्डर / ब्लासटर ड्रिलर / बिन्च फिटर / कम्पाउन्डर / पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर /लेबलरज सॉ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड—।। /खलासी ( 8 साल से अधिक ) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर/ रौकर शावल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको–आपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट आपरेटर / वायरलैस आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।।।

**41** | P a g e

उच्च कुशलः रु.. पै. रु.. पै.

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड— । / 284.50 8535.00 चार्ज मैन ग्रेड—। / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—। / टर्नर ग्रेड—।/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड—। / सर्वेयर / ड्राफटस—मैन / सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित ) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर/ वायरमैन / आटो इलैकट्रीशियन/ इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर ।

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः

रुपए रुपए बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / 224.17 6725.00 स्टोर—कीपर / स्टोर—मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर –रीडर / लैजर बुिकंग कलर्क /बिल—क्लर्क / इरीगेशन बुिकंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो—प्रिटंर / ड्राइवर ( जीप / कार / ट्रेक्टर ) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा—लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

#### टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी/लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च&कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीख शिमला -2 1

12 अक्तूबर, 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

# अधिसूचना

#### 3 लोक मोटर परिवहन

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला

12 अक्तूबर, 2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्लोक मोटर परिवहनंश के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–05–2015 से सशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4–8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ)ः

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर—हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी ।

रुपए रुपए 180 / —प्रतिदिन 5400 / —प्रतिमास

(ख) वर्कशाप—स्टाफ (अकुशल ) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है ।

रुपए रुपए

180 / - प्रतिदिन 5400 / - प्रतिमास

रुपए

अर्घ—कुशल

रुपए 190.17 प्रतिदिन

5705 / —प्रतिमास

- 1. सहायक इलैक्ट्रीशियन
- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर
- सहायक ब्लैक स्मिथ
- सहायक कारपेंटर
- 6. सहायक वैल्डर
- 7. सहायक टर्नर
- 8. सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट
- 10. सहायक कुशन—मेकर
- 11. सहायक बोल्केनाइजर

- सहायक पेंटर 12.
- सहायक अपहोलस्टर 13.
- सहायक टायरमैन 14.
- सहायक स्प्रेमैन 15.
- सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक 16.
- सहायक रिट्रीडर 17.
- वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का 18. सर्टिफिकेट हों या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो, जिसके पास कोई आई०टी०आई० का डिप्लोमा न हो
  - 19. सहायक मोल्डर ।

#### कुशलः

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन, स्प्रेटर, , इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या दो वर्षों का प्रोवेशन पीरियड हो जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट घारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है । उच्च कुशाल वर्कशाप स्टाफ

रू 216.52 प्रतिदिन रु₀6496.00 प्रतिमास

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज रू० 250.50 प्रतिदिन स्पर वाईजर ।

₹₀ 7515..00 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

## ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे रू0 216.52 प्रतिदिन बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर रु 6496.00 कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट । ग्रूप—बीः

प्रतिमास

मुख्य—निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड / रू० 232.52 प्रतिदिन स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, रु 6976.00 टायर–निरीक्षक ।

प्रतिमास

ग्रुप-सीः

हैंड एसिस्टैण्ट / हैड–क्लर्क, ऑडिटर / हैड–कैशियर ।

रू0 291.25 प्रतिदिन रु。 8738.00 प्रतिमास

## रंनिग—स्टाफः

1 ड्राइवर

2 कन्डकटर

3 कलीनर कम कन्डकटर

4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लीक

रू0 254.12 प्रतिदिन रु. 7624.00 प्रतिमास रू0 223.60 प्रतिदिन

रु.6708.00 प्रतिमास रू0 203.12 प्रतिदिन रु.6094.00 प्रतिमास रू० 73.72 प्रतिदिन

रु.2212.00 प्रतिमास

#### टिप्पण:

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं।इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट फाईल-1 तारीख

तारीखः शिमला 12, 3

12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

## अधिसूचना

# 4. दुकानें एवं वाणिज्यिक स्थापन

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला

12 अक्तूबर,2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि शंदुकानों एवं वाणिज्य स्थापनोंश के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों के कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास, सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

रुपए

154.47 दैनिक

रुपए 4634.00 मासिक

#### अकुशलः

हेल्पर /शॉप-ऐसिस्टैंट / पल्लेदार / रुपए 180.00 दैनिक चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची रुपए 5400.00 मासिक / गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मसेंजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट /पोर्टर / भिस्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

अर्धकुशलः हैडपोर्टर / पैटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक—बेकर / गेट—कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक —आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट बिल—कलैक्टर / कनवैसर / कुक / एसिटेंट—हलवाई / बुक—बाइंडर / स्टीचर / कलंग—कटिंग /

195.55 प्रतिदिन तथा 5867.00 रू. प्रतिमाह 169.12 प्रतिदिन तथा 5074.00रू. प्रतिमाह

```
/ सहायक मिस्त्री / सहायक—फिटर / सहायक—टर्नर / सहायक—वैल्डर सहायक—इलैक्ट्रीशियन / सहायक—वैल्डर / सहायक—सेल्जमैन / सहायक—बारबर / धोबी / प्रैसमैन / ब्वायलर—मैन / फिल्म—रिवांइडर / वेटर / वीयरर / ऐसिसटैंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / वाईट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक) सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक—मशीनमैन / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट धारक।
```

#### क्शलः

```
ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर / रुपए 224.17 दैनिक रुपए 198.37 दैनिक
रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / रुपए 6725.00 मासिक रुपए 5951.00 मासिक
ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर(टेलरिंग) /
स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक/ कुक/
कन्फैक्शनर / बेकर/ स्अवार्ड
             / ड्राफटसमैन
बटलर / फिटर
टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर
गोल्डरिमथ / शू–मेकर / शाल कारपेट
वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर /
सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / डायर / बारबर
/रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर
/ मोल्डर / कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट
)/ मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर/
वियरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर /
हैड-वीयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल )/
लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक,
जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों।
```

```
उच्च–कुशलः
```

```
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार 237.12 दैनिक 212.40 दैनिक / मुख्य खजानची / हैड-कुक / 7114.00 मासिक 6372.00 मासिक हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर /हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।
```

#### टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
  - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला –2

12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

## 5. वानिकी उद्योग

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीखः शिमला 12 अक्तूबर, 2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्वानिकी उद्योगश् के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
1	अकुशल कर्मकार वृर्क्षो का गिराना 1 लेापर (छांगी)	रुपए 180.00	रुपए 5400.00
	<ol> <li>फैलर (गिरानी)</li> </ol>	रुपए 195.55	रुपए 5867.00
0	· · · ·	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
2	लागिंग एण्ड स्वाईंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 250.50	रुपए 7515.00
	3. ब्लैकरिमथ	रुपए 229.40	रुपए 6882.00
3	मैनुअल लेबर कैरेज, स्टेकिंग एण्ड टिम्बर  1. मजदूर के लिए कैरेज  2. मजदूर के लिए लोडिंग / अनलोडिंग ऑफ	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
	टिम्बर	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
4	एरियल रोप वेज द्वारा कैरेज ऑफ टिम्बर 1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर 2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 250.50 रुपए 229.40	रुपए 7515.00 रुपए 6882.00
5	कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) ड्र (पत्थरू) नालाबहान दरिया बहान (रीवर फ		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 275.15	रुपए 8555.00
	2. तारू	रुपए 260.27	रुपए 7808.00
	3. एसिसटैंट मिस्त्री (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 237.12	रुपए 7114.00
	4. दरियामैन	रुपए 260.27	रुपए 7808.00

	<ul><li>5. घालू</li><li>6. जमादार</li></ul>	रुपए 207.17 रुपए 207.17	रुपए 6215.00 रुपए 6215.00
	o. simer	V-15 201.11	V-13 0210.00
6	मकैनाइजड लोगिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैकश	गनः	
	1. सर्वेयर	रुपए 252.57	रुपए 7577.00
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 229.40	रुपए 6882.00
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 209.30	रुपए 6279.00
	4. कम्प्रेशर ड्राइवर	रुपए 209.30	रुपए 6279.00
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 305.12	रुपए 9154.00
	2. एकाउन्टैंट	रुपए 213.97	रुपए 6419.00
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
8	सॉ मिल वर्कर :		
	1.बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 229.40	रुपए 6882.00
	2.स्परवाइजर	रुपए 226.29	रुपए 6789.00
	3.हैड मिस्त्री	रुपए 229.40	रुपए 6882.00
	4.वायलर ड्राइवर	रुपए 229.40	रुपए 6882.00
	5.एसिसटैंट मिस्त्री	रुपए 190.17	रुपए 5705.00
	6.पलेनर मिस्त्री	रुपए 190.17	रुपए 5705.00
	7.हैल्पर	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
	8.कटर मैन	रुपए 190.17	रुपए 5705.00
9	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फैलर तथा चिपर	रुपए 186.12	रुपए 5584.00
	2. कत्था सुपरवाईजर / कत्था प्रौसेसर	रुपए 195.55	रुपए 5867.00

# उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी),					
ओवरसियर, हैडफोरमैन	रुपए 284.50	दैनिक	रुपए	8535.00	मासिक

#### टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होनाआवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार संख्याः श्रम (ए) 4–8 / 2006–पार्ट फाईल–1

तारीखः शिमला –2

12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

#### 6.रसायन एंव रसायनिक उत्पाद

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-1 तारीख : शिमला

12 अक्तूबर, 2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्ररसायन और रसायनिक उत्पादों श के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए ।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त/सभी 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित	न्यूनतम दरें
अकुशलः	दैनिक रूपए 18000	मासिक रूपए 5400.00
अर्धकुशलः	दैनिक रूपए	मासिक
एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकिस्मथ, एसिटेंट—कापरमैन, री—इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट—कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड—।, मशीन लेवलर, सलैक्टर,कटर कम मार्किट सैलर अम्पुलर,हैगमैन. आई,टी,आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	-	रूपए 5654.00
कुशल:	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर मैंसन, कारपेंटर, एसिटेंट—फोरमैन, हैड—जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड—।।,वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईंजन ड्राइवर, ड्राफटसमैन, एसिस्टैंट—कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक ), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।	रूपए 224.17	रूपए 6725.00
^	दैनिक	मासिक
उच्च—कुशलः बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी ),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।	रूपए 284.50	रूपए 8535.00

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल & अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीखः शिमला-2 12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

# अधिसूचना

## 7.इंजीनियरिंग उद्योग

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला

12 अक्तूबर,2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्इंजीनियरिंग उद्योगश् के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए) 4—8 / 2006— पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों का वर्ग	संशोधित		
	C/	न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक	
अकुशल:	रूपए	रूपए	
•	180.00	5400.00	

# अर्धकुशलः

टेपर ग्रेड—।।।, र्टनर ग्रेड— ।।।, ड्रीलर ग्रेड— ।।।,रोमर ग्रेड— ।।।, शेयर मैन ग्रेड—।।।, मशीनमैन,मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड—।।।, ब्रजर ग्रेड— ।।।, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड— ।।।, प्रैस आपरेटर ग्रेड— ।।।, स्प्रे पेंटर ग्रेड— ।।।, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड— ।।।,असैम्बलर ग्रेड— ।।।,कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड— ।।।, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड— ।।।, मोपर ग्रेड— ।।।,ग्राइंडर ग्रेड— ।।।, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर ग्रेड— ।।।, थ्रेड/ रोलर आपरेटर ग्रेड— ।।।, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— ।।।, फीडर ग्रेड— ।।।, डाइमेकर ग्रेड— ।।।, बैल्डर ग्रेड— ।।।, टिनिस्मथ ग्रेड— ।।।, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड— ।।।, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड— ।।।,बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड— ।।।, लिस्टर डीजल इंजन डाइवर ग्रेड ।।।, आयलमैन।

कुशल:

रूपए रूपए 224.17 6725

रूपए

188.47

रूपए

5654

टेपर ग्रेड— ।।,टर्नर ग्रेड— ।।, ड्रिलर ग्रेड—।।, शैपर ग्रेड—।।, शैपर मैन ग्रेड— ।।,स्लाटरमैन ग्रेड— ।।, मकैनिस्ट आपरेटर/ब्रजर ग्रेड—।।,लाईनर ग्रेड—।।,स्प्रे पैन्टर ग्रेड—।।, ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड—।।,प्रैस आपरेटर ग्रेड—।। , असैवंलर ग्रेड—।।,टेलर ग्रेड—।।,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड—।।, मोपर ग्रेड—।।,ग्राईडर ग्रेड—।।, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड—।।,थ्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड—।।,वुक स्करयू मशीन आपरेटर ग्रेड—।।, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड—।।, फिटर ग्रेड—।।, कारपेंटर ग्रेड—।।, फिटर ग्रेड—।।, कारपेंटर ग्रेड—।।, टिनिस्मिथ ग्रेड—।।, हैमरमैन ग्रेड—।।, ब्लैकिस्मिथ ग्रेड—।।, टूलसैटर ग्रेड—।।, ईलैकटरीकल लाईनमैन ग्रेड—।।, ईलेक्ट्रीशन ग्रेड—।।, आरमैचर वाईंडर और क्वाईल वाईंडर ग्रेड—।।, केबल ज्वाईटर ग्रेड—।।, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड—।।, लिस्टर डीजल ईन्जन ड्राईवर ग्रेड—।।, मोल्डर ग्रेड—।।, सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।

#### उच्च–कुशल:–

रूपए रूपए टर्नर ग्रेड— |,ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड— |, शेपर मैन ग्रेड— |, सलाटरमैन 284.50 8535 ग्रेड— |, मिलर ग्रेड— |, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड— |, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड— |,फिटर ग्रेड— |, कारपेंटर / पैटर्न मेकर ग्रेड— |,डाईमेकर ग्रेड— |,एन्ग्रेवर ग्रेंड— |, व्लैकस्मिथ ग्रेड— |,डाईसेटर ग्रेड— |,टूल सेटर ग्रेड— |,इलैक्ट्रीशियन ग्रेड— |

क्लेरिकल स्टाफः

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

रूपए रूपए 200.00 6001.00

#### टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्युनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल‰ अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला —2

12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

## 8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006- पार्ट फाईल-1 तारीख : शिमला

12 अक्तूबर,2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्चाय बागान (टी प्लांटेशन)श्र के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए) 4—8 / 2006— पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम

मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, रूपए रूपए छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, छार्टिंग, कांट —छांट करने, गुडाई करने, 180.00दैनिक 5400.00मासिक तुड़ाई आदि के कार्य में नियोजित के नाम से ज्ञात ।

ए—ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला——12 किलोग्राम से अधिक प्रोत्साहन के रूप में चाच पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 13.03 रू० प्रतिकिलो, अतिरिक्त मिलेंगे।

बी ग्रेंड पत्तियां——यदि पतियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है, तो उसे 10.09 रू० प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे

सी ग्रेड पत्तियां———यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 7.32 रू० प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के —'ए','बी व 'सी' ग्रेड के लिए 13.03 रू०, 10.09 रू० और 7.32 रू० प्रति किलो की दर से मिलेंगे ।

# अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 184.56रू० प्रतिदिन, 5537.00 रू० प्रतिमास मिलेंगें ।

कारखाना :

रूपए 180.00 दैनिक और रूपए 5400 मासिक

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, सिफ्टिंग मजदूर, विदरिंग, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्वाएज, सार्टज, टी—मेकर्ज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

क्लीनर असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड बर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

# क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

- 1. लेखाकार रूपए 325.22 प्रतिदिन रूपए 9757.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
- 2. लिपिक रूपए 224.17 प्रतिदिन रूपए 6725.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
- 3. मुन्शी रूपए 239.53 प्रतिदिन रूपए 7186.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
- 4. चपडासी / रूपए 184.57 प्रतिदिन रूपए 5537.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा जो चौकीदार / लिपिक जो अनुज्ञेय हैं। चौधरी

		दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर	रूपए 294.27	रूपए 8828.00
6.	ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर )	रूपए 254.12	रूपए 7624.00
7.	मकैनिक	रूपए 297.40	रूपए 8922.00
8.	एसिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 252.57	रूपए 7577.00
9.	इलैक्ट्रीश्यिन—कम—मकैनिक ग्रेड –।	रूपए 297.40	रूपए 8922.00
10.	इलैक्ट्रीश्यिन—कम—मकैनिक ग्रेड —।।	रूपए 252.57	रूपए 7577.00
	टिप्पण:		

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
  - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल १६ अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नही है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1

तारीखः शिमला–2

12, अक्तूबर 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05-08-2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

## अधिसूचना

# 9.कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खन्ड—ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापन

संख्याः श्रम (ए) 4–8 / 2006– पार्ट फाईल–1 तारीख ः शिमला

12 अक्तूबर,2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खण्ड—ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रियाश के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—05—2015 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए) 4–8/2006— पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार रूपए 180.00 प्रतिदिन या रूपए 5400.00 प्रतिमास अर्द्ध—कुशल रूपए 188.47 प्रतिदिन या रूपए 5654.00 प्रतिमास कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)रूपए 224.17 प्रतिदिन या रूपए 6725.00 प्रतिमास उच्च कुशल रूपए 284.50 प्रतिदिन या रूपए 8535.00 प्रतिमास

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यिद अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल & अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीखः शिमला -2

12 अक्तूबर, 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला–4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

#### अधिसूचना

#### 10 होटल और रैस्टोरैंट

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीख ः शिमला 12 अक्तूबर,2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्होटल और रैस्टोरैंटश के अनुस्चित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-05-2015 से संशोधित किया जाए ।

न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए) 4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30–06–2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गी को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-05-2015 से लाग् करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्युनतम मजदूरी को तारीख 01-05-2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

#### संशोधित मजदूरी

कर्मकारों व	ना प्रवर्ग	जहांकोई	जहां संयुक्त	Γ
		प्रसुविधा	आवास और	Ĺ
		उपलब्धनहीं	खाना,चाय आदि की	Ì
		करवाई गई है	प्रस्विधा उपलब्ध	Г
			करवाई गई है	
अकुशलः	1.	2.	3.	

हैल्पर / चौकीदार / चपड़ासी /स्वीपर /मसालची रूपए180.00 दैनिक रूपए 154.47 दैनिक /गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकरूम अटैंडेंट / पोटर/भिश्ति / वेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार जो मासिक अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

रूपए ४६३४.०० मासिक रूपए 5400.00

## अर्ध क्शल कर्मकारः

पैंट्रीमैन / काफी–टी मेकर / चपातीमैन / सहायक रूपए 195.55 रूपए 170.11 दैनिक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / दैनिक सटिचर / रूलिंग / कटिंग / ऑक्शनर / माली प्रतिदिन रूपए 5103.00 मासिक / होटल गाईंड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट रूपए 5867.00 फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर/ असिस्टेंट मासिक बैल्डर / असिस्टेंट ईलैक्ट्रीशयन/ असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / वॉयलरमैन / फिल्म रिवाईडर / ब्राहरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / वाइट वॉशर / पकौडा और

मेकर / कलर्क (नॉनमैटिक ) / डिस्ट्रीव्यूटर और असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट डिस्टीव्यूटर और मशीनमैन / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य द्रेड में कार्यरत है ।

#### कुशल कर्मकारः

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / रूपए 224.17 दैनिक रूपए 198.37 दैनिक बेकर / स्टीवरर्ड / बटलर / ड्राफटसमैन / रूपए 6725.00 मासिक रूपए 5951.00 टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर / मासिक वियरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल ) आई०टी०आई० प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

#### उच्च–कुशलः

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) /अकाउटेंट रूपए 237.12 दैनिक रूपए 211.46 दैनिक / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर रूपए 7114.00 मासिक रूपए 6344.00 मासिक / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।

#### टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
  - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशल १६ अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीखः शिमला-2

12 अक्तूबर, 2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05-08-2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

## अधिसूचना

## 11 निजी शैक्षिणिक संस्थान

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-1 तारीखः शिमला 12 अक्तूबर, 2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि श्निजी शैक्षिणिक संस्थानोंश के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–05–2015 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए) 4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की बैठक तारीख 30—06—2015 को हुई थी जिसमें समस्त 11 अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—05—2015 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—05—2015 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार रु० 180.00 प्रतिदिन या रु० 5400.00 प्रतिमाह अर्द्ध—कुशल रु० 195.55 प्रतिदिन रु० 5867.00 प्रतिमाह कुशल रु० 224.17 प्रतिदिन रु० 6725.00 प्रतिमाह उच्च कुशल रु० 237.12 प्रतिदिन रु० 7114.00 प्रतिमाह

#### टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम

दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल & अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध कुशलः अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) 4–8 / 2006–पार्ट फाईल–1

तारीखः शिमला–2

12 अक्तूबर,2015

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 दिनांक 05—08—2015 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।